

मांग संख्या 19
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 से 2

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के राज्यांश हेतु रूपये 600.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के लिए राशि रूपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2211

मद क्रमांक 4

राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 84.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 84,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5 से 6

क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 11.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 11,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

मिड वाइफ एवं हैल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण के प्रशिक्षण हेतु रूपये 21.20 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 21,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

उप स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 648.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,48,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।